

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर


क्रमांक 5333 /

// आदेश //

जबलपुर, दिनांक 02/09 / 2021

II-13-14/2021

मध्यप्रदेश सिविल सेवा शर्तें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 सहपठित उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश सेवा (भर्ती, सेवा की सामान्य शर्तें, आचरण, वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 2017 के नियम 16 (1) के अंतर्गत मैं राजेन्द्र कुमार वाणी, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर श्री अशोक कुमार सिंह, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर के विभागीय जांच प्रकरण में श्री ए.व्ही. मण्डलोई, रजिस्ट्रार (एम.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर को जांचकर्ता अधिकारी एवं श्री दिलीप वर्मा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

  
31.8.21  
(राजेन्द्र कुमार वाणी)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 5334 /


जबलपुर, दिनांक 02/09 / 2021

II-13-14/2021

प्रतिलिपि:-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर म.प्र.,
2. रजिस्ट्रार प्रशासन / (आई.एल.), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
3. एस.पी.एस.ए. आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
4. श्री ए.व्ही. मण्डलोई, रजिस्ट्रार (एम.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर की ओर इस निर्देश के साथ कि वे जांच रिपोर्ट 90 दिवस में प्रस्तुत करें,
5. रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (स्थापना), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
8. श्री दिलीप वर्मा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर
9. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
10. एक अतिरिक्त प्रति स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
11. श्री अशोक कुमार सिंह, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न:- क्रमांक 4, 8, 9, 10 एवं 11 के लिये आरोपपत्र,  
अभिकथन का विवरण, दस्तावेजों एवं गवाहों  
की सूची की प्रतिलिपि।

  
T. 9.21  
(नरसिंह बघेल)  
रजिस्ट्रार (इंस्पेक्शन)